(दो) किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने के आवश्यकता नहीं होगी।

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच)अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।

(आठ) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होगें।

08.विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एंव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

09.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे उद्धृत मानकों एंव मापदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एंव खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार वर्ष 2019–20 से आगामी वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों का उल्लघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगा।

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल– 5940 वर्ग फीट
- कुल निर्मित क्षेत्र– 418 वर्ग फीट
- खेल का मैदान– है।
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या– 20
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह भण्डार कक्ष– 01
- शौचालय बालक/बालिका– है।
- पेयजल सुविधा– है।
- मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई– –
- वाधा रहित– है।
- शिक्षण अधिगमन सामाग्री– खेलकूद/पुस्तकालय उपलब्ध है

11.इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जाएगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं किया जाएगा।

12.विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाऐं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक हेतु नहीं किया जाएगा।

13.विद्यालय सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अधिनियम (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के अन्तर्गत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

15.लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियामक के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16.राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एंव सूचनाऐं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन विद्यालय संचालन द्वारा किया जायेगा।

17.यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

18.विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

19.परिशिष्ट–4 के रूप में संलग्न अन्य शर्ते पूर्व में उपलब्ध करायी गयी है।

20.यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

21.बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय तथा शासन/विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

01/03/21

(के0के0गुप्ता)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ0सं0– मान्यता (आर0टी0ई0)/7825-27 /अंग्रेजी नवीनीकरण/2020–21 दिनांक–उक्तवत्

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01.जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा,नैनीताल।
02.संबंधित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी।
03.कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

01/03/21

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।